**न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**जयपुर महानगर जयपुर**

दीवानी वाद पत्र संख्या –

## वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सी पी सी

डॉ. ऋतु बनावत पत्नी श्री ऋषि बंसल, निवासी गांधी सेवा सदन, बयाना, भरतपुर, हाल निवासी ए–2, 504, विधायक आवास, ज्योति नगर, जयपुर राज.

वादीगण

बनाम

1. डी.बी. कार्पोरेशन लिमिटेड जरिये एम.डी. (दैनिक भास्कर ग्रुप ) पता 10 जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर राजस्थान 302017
2. सुधीर अग्रवाल, पुत्र स्व. श्री रमेश चंद अग्रवाल एम.डी. डी.बी. कार्पोरेशन लिमिटेड (दैनिक भास्कर ग्रुप ) पता 10 जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर राजस्थान 302017
3. **एल पी पन्त** पुत्र श्री बी पी पन्त, नेशनल एडीटर, डी.बी. कार्पोरेशन लिमिटेड (दैनिक भास्कर ग्रुप ), पता बी 804 यूनिक टावर एन आर आई कॉलोनी के पास जगतपुरा जयपुर राजस्थान 302017 व 10 जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर राजस्थान 302017
4. **अवदेश सिंह आकोदिया** पुत्र भीम सिंह रिपोर्टर / जर्नलिस्ट, डी.बी. कार्पोरेशन लिमिटेड (दैनिक भास्कर ग्रुप ), आकोड़ा पट्टी

वजीरपुर सवाई माधोपुर राजस्थान 322219 व पता 10 जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर राजस्थान 302017

प्रतिवादीगण

## वाद बाबत क्षतिपूर्ति 50,00,00,000/- रूपये किये जाने मानहानि

मान्यवर,

वादपत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि वादिनी एक उच्च शिक्षित सामाजिक सेवा करने वाली महिला है और और अपने परिश्रम व लगन से राजस्थान की आम जन में सेवाभाव के लिए विख्यात है और उसके सेवा कार्य से जयपुर व राजस्थान के आमजनों में उसकी एक विशिष्ठ छवि है और यही कारण है कि वादिनी ने अपनी उत्कृष्ठ छवि के कारण बतौर निर्दलीय राजस्थान विधानसभा की बयाना सीट के लिए वर्तमान विधानसभा में चुनाव जीता और आम जनता को भरपूर सहयोग व वादिनी के प्रति रहा है।

2. यह कि विपक्षीगण समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" से मुख्य रूप से जुडे हुए है और दैनिक भास्कर के लाभार्थ कार्य करते है। उक्त समाचार पत्र में छपने / प्रकाशित होने वाली सभी खबरों के प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।

विपक्षीगण की देख-रेख व निर्देशन में समाचार पत्र के रिपोर्टर / जर्नलिस्ट कार्य करते है और समाचार पत्र उनको सेवा के बदले पारिश्रमिक भी प्रदान करता है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत संपादक और प्रकाशकए समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक शब्द के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित सभी सूचनाओं के लिए सभी विपक्षीगण सयुंक्त एवं पृथक पृथक रूप से उत्तदायी है।

3. यह कि दैनिक भास्कर में प्रकाशित सभी जानकारी / खबरे सम्पूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर अन्य कई प्रदशों में पढी जाती है और उनके आधार पर आमजन, संस्थाए एवं प्रत्येक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक व इसी प्रकार की जुडी हुए अनेक संस्थाओं को खबरे प्रभावित करती है। विपक्षीगण द्वारा प्रकाशित खबरों के आधार पर आमजन में व्यक्ति विशेष की छवि का विश्लेषण होता है।

4. यह कि विपक्षीगण के समाचार पत्र दिनांक 14.12.2025 में विपक्षीगण की दुर्भावना एवं सामुहिक जिम्मेदारी के कृत्य से, गैरकानूनी रूप से बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करे, विपक्षीगण के समाचार पत्र की टीम ने साजिश रचकर

वादिनी की छवि को धूमिल व बदनाम करने की नियत से एक तथाकथित स्टिंग आपरेशन की खबर प्रकाशित की गई। जो छद्म रूप से समाचार पत्र के नैतिक मूल्य व सिद्धान्तों की अवहेलना कर "यल्लो जर्नलिज्म" के तहत समाज में सनसनी पैदा करने की दृष्टि से व आधारहीन गलत समाचार पत्र प्रकाशिक कर अपने समाचार पत्र की आय बढाने के लिए, अनुचित स्टिंग आपरेशन वादिनी का करवाया।

5. यह कि विपक्षीगण के द्धारा राजनैतिक षडयन्त्र कर विपक्षीगण के अखबार दिनांक 14.12.2025 में मुख्य बडी अक्षरों में सनसनी फैलाने के लिए यह प्रकाशित किया है "निर्दयलीय ऋतु से 40 लाख की डील" जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई भी डील विपक्षीगण के छद्म पत्रकार / रिपोर्टर से हुई ही नहीं। वादिनी ने 40 लाख रूपये की भ्रष्टाचार करने की व संसदीय विकास कार्य के लिए विधायक निधि कोष के लिए कोई डील नहीं की।

6. यह कि विपक्षीगण के साजिशी कृत्यों के साथ अखबार में रिपोर्टर की यह बात भी अनुचित लिखी गई है कि वादिनी के पति को 40 लाख रूपये रिपोर्टर ने दिये हो। सारी सूचनाए

बनावटी, साजिशी व असत्य है। वादिनी से तथाकथित रिपोर्टर द्वारा जयपुर में सम्पर्क करने का प्रयास किया गया था जिसमें वह असमर्थ भी रहे। तथाकथित स्टिंग आपरेशन का एक वीडियों भी गलत रूप से रिकॉर्ड किया गया है वह भी कई बार एडिट किया हुआ है। यह सारी कार्यवाही वादिनी की राजनैतिक व उसके परिवार की छवि को हानि पहुँचाने के लिए विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर की गई है।

7. यह कि वादिनी ने दिनांक 15.12.2025 को स्पष्ट किया कि उन्होनें किसी रिपोर्ट के कार्य की अनुशंषा नहीं की है और ना ही उनके सामने पैसे देने की कोई बातचीत हुई है। इस समाचार को भी दिनांक 15.12.2025 को विपक्षीगण के समाचार पत्र की दुर्भावना से ही छापा गया है और मेरे अभिभाष्य से माफी भी नहीं मांगी गई। जबकि स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया था कि वादिनी विपक्षीगण के विरूद्ध मानहानि का मुकदमा करेगी परन्तु आज दिनांक तक आप लोगों द्वारा उक्त गलत समाचार बाबत वादिनी से कोई माफी नहीं मांगी।

8. यह कि विपक्षीगण के समाचार पत्र में गलत स्टिंग आपरेशन की खबर दिनांक 14.12.2025 से वादिनी के व्यक्तिगत चरित्र

पर घोर असर हुआ है। विपक्षीगण के समाचार पत्र में दिनांक 15.12.2025 को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य वरिष्ठ नेताओं के विचार वादिनी के विरूद्ध बदनाम करने के लिए छापे गये है जबकि इन लोगों को भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वादिनी ने विधायक कोष की 40 लाख की किसी राशि का कोई अनुशंषा पत्र जारी किया और ना ही जारी करने का कोई आश्वासन दिया है। विपक्षीगण के इस अनुत्तरदायी, अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य से वादिनी की राजनैतिक / सामाजिक / पारिवारिक / व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। अनेक लोगों के द्वारा वादिनी के विरूद्ध इलैक्ट्रोनिक मीडिया से विपक्षीगण के गलत प्रकाशन के आधार पर गलत धारणा भी बनाई जा रही है जिसकी हानि का रूपयों में मूल्यांकन भी नहीं हो सकता।

9. यह कि आप प्रतिवादीगण ने दुर्भावना से राजनैतिक षडयन्त्र कर यह जानते हुए कि वादिनी एक स्पष्ट छवि वाली महिला है। अपने जर्नलिस्ट प्रतिवादी संख्या 4 के माध्यम से प्रतिवादीगण ने साजिश कर केवल बदनाम करने के लिए एक फर्जी स्टिंग आपरेशन किया। वादिनी ने अपने विधायक के समय में कभी

भी विधायक निधि में भ्रष्टाचार नहीं किया, ना ही कोई दुरूपयोग किया और विधायक निधिकोष में आम जनता के सेवा में ही खर्च करने की सिफारिश की। प्रतिवादीगण यह भी जानकारी रखते है कि विधायक कोष को खर्च करने का कार्य विधायक का नहीं है विभागीय अधिकारी और संबंधित अधिकारी ही उसे खर्च करते है व कार्य के लिए टेण्डर भी वही देते है।

10. यह कि प्रतिवादीगण के समाचार पत्र में दुर्भावना से वादिनी को बदनाम करने के लिए किसी स्टिंग आपरेशन की साजिश रचकर अधूरी व असत्य बाते छापी। प्रतिवादीगण के इस असत्य व बनावटी समाचार में भी यह तो स्वीकार किया है कि वादिनी ने यह स्पष्ट किया कि उसके पास कोई शेष खर्च किये जाने के लिए विधायक निधि में कोई राशि नहीं है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के समाचार पत्र जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की साजिश से प्रकाशित किया गया है, उसमें जब कोई विधायक निधि शेष ही नहीं है तो डील होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

11. यह कि प्रतिवादीगण के समाचार पत्र में असत्य खबर यह प्रकाशित की गई कि वादिनी के पति ऋषि बंसल ने 40,00,000/- रूपये की डील की। यह प्रथम दृष्टया इसलिए ही असत्य है कि जब प्रतिवादीगण के रिपोर्टर को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई विधायक निधि खर्च किये जाने के लिए शेष ही नहीं है तो डील होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसके अतिरिक्त वादिनी के पति ऋषि बंसल किसी डील किये जाने के लिए सक्षम व्यक्ति भी नहीं थे और यह खबर केवल वादिनी व उसके परिवार को बदनाम करने के लिए षडयन्त्र रचकर छापी गई है जिससे वादिनी को आमजन में व इलैक्ट्रोनिक माध्यम से आमजन में काफी कुछ सुनने को मिला है जिससे वादिनी की छवि धूमिल हुई है जिसका कोई असंख्य मूल्य की है।

12. यह कि वादिनी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 20.01.2026 को अपने अभिभाषक से उसके विरूद्ध रचे गये षडयन्त्र व किये गये मानहानि कृत्यों के लिए लिखित में माफी मांगने के लिए एक अवसर भी दिया और माफी नहीं मांगने पर बतौर हर्जाना 50,00,00,000/- रूपये की राशि की मांग भी की। यह राशि

भी वादिनी की जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है उसके अनुपात में काफी कम है। उक्त नोटिस प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया परन्तु प्रतिवादीगण ने निश्चित अवधि में अपने समाचार पत्र में माफीनामा नहीं प्रकाशित किया और जानबूझकर वादिनी के चरित्र को धूमिल किया।

13. यह कि प्रतिवादीगण की दुर्भावना तो नोटिस मिलने के बाद भी इसलिए प्रतीत होती है कि दिनांक 30.01.2026 के समाचार पत्र में भी वादिनी के पति से 40 लाख रूपये की डील किये जाने की खबर भी दुर्भावना से प्रकाशित की है और यह कृत्य स्पष्ट करता है कि आप जानबूझकर दुर्भावना से वादिनी को नुकसान पहुॅचाना चाहते है। डील के लिए प्रतिवादीगण के पास कोई लिखित सबूत भी नहीं हे।

14. यह कि प्रतिवादीगण के समाचार पत्र के माध्यम से यह प्रकट हुआ कि कोई एडिट की हुई सीडी बनाई गई है जिसकी नकल भी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादीगण को अनेक बार कहा गया परन्तु प्रतिवादीगण ने उस सी डी की कोपी भी जानबूझकर वादिनी को उपलब्ध नहीं कराई औरमौखिक यह धमकी देते है

कि सी डी को एडिट किया गया हैऔर जानबूझकर गलत तथ्य अंकित किये जाने प्रकट किये है।

15. यह कि वादिनी को वाद हेतु प्रतिवादीगण के अखबार ............. में गलत खबर प्रकाशित होने व दिनांक 20.01.2026 को नोटिस दिये जाने व समाप्त होने नोटिस अवधि उत्पन्न हुआ।

16. यह कि वादिनी प्रतिवादीगण से सयुंक्त रूप से एवं पृथक पृथक रूप से क्षतिपूर्ति राशि 500000000/- प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

17. यह कि वाद की मालियत 50,00,00,000/- कायम की जाकर उसपर निर्धारित न्यायशुल्क 25,000/- रूपये कोर्टफीस एक्ट के अनुसार अदा किया जा रहा है।

18. यह कि वादिनी पुलिस थाना ज्योतिनगर के क्षेत्राधिकार में रहती है व सम्पूर्ण राजस्थान में यह समाचार प्रकाशित किया गया है इस कारण वादिनी के निवास स्थान जयपुर पुलिस थाना ज्योतिनगर के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

19. यह कि बलिहाज मालियत दावा माननीय न्यायालय को वाद सुनने व फैसल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

20. यह कि दावा कानून अन्दर मियाद पेश है।

21. यह कि वाद की अतिरिक्त प्रतिया सलग्ंन है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर :-

क- यह कि वाद वादिनी विरूद्ध प्रतिवादीगण वसूली 50,00,00,000/- रूपये का डिक्री किया जावे। एवं माननीय जो भी राशिउचित समझे वह डिक्री किया जावे एवं प्रतिवादीगण की सयुंक्त व व्यक्तिगज रूप से जात व जायदाद से वसूल कराया जावे।

ख- यह कि खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाए।

ग- यह कि अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों में आवश्यक समझें, वादी के पक्ष में डिक्री फरमाई जावे।

जयपुर

वादी

दिनांक

सत्यापन

मैं, [illegible]..... वादी सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र का मद नम्बर 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान तथा मद नम्बर 11 ता 15 कानूनी सलाहकार की राय से तथा अन्त में अनुतोष है जो सत्य एवं सही लिखाए है कोई कथन मिथ्या अंकित नहीं किया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

जयपुर

सत्यापनकर्ता

दिनांक

जरिये अधिवक्ता

# न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
# जयपुर महानगर प्रथम जयपुर

दीवानी वाद पत्र संख्या –

डॉ. ऋतु बनावत बनाम डी.बी. कार्पोरेशन लिमिटेड

**<u>शपथ पत्र</u>**

मैं डॉ. ऋतु बनावत पत्नी श्री ऋषि बंसल, निवासी गांधी सेवा सदन, बयाना, भरतपुर, हाल निवासी ए–2, 504, विधायक आवास, ज्योति नगर, जयपुर राज. की हूँ तथा सशपथ बयान करती हूँ कि:–

1. यह कि मैं उपरोक्त उनवानी वाद में वादिनी हूँ और इस कारण हालात व तथ्यों से भली भांति परिचित हूँ।
2. यह कि संलग्न वाद पत्र के समस्त मदात को मैने पढ कर समझा लिया है जो मेरे ही द्वारा लिखाया हुआ है जो सही और सत्य है जिसको कि मैं एतद् द्वारा सही होना स्वीकार करता हूँ जिसे शपथ पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे।

स्थान

शपथग्रहिता

दिनांक

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि शपथपत्र के मद संख्या 1 से 2 तक में वर्णित सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान, जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही एवं दुरूस्त हे। इसमें कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

जयपुर

सत्यापनकर्ता

दिनांक

यूनिक ट्रेडर्स, 250, चौड़ा रास्ता, जयपुर ✆ 2577171

# दस्तावेजों की सूची

फार्म नं. 3 (नियम 36)

वादी/प्रतिवादी

तारीख पेशी

सूची दस्तावेज को आदेश 7 नियम और आदेश 13 नियम 14 के अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

न्यायालय DJ - प्रथम जयपुर महानगर

ऋतु बनावत विरुद्ध डी बी कार्पोरेशन

वाद संख्या सन् दावा बाबत मानहानि।

| संख्या | दस्तावेजों का वर्णन | तारीख दस्तावेज | दस्तखत फरीकेन या वकील मय तारीख | अगर शहादत में लिया गया या इन्कार किया गया | अगर शहादत में लिया गया | रसीद फरीकेन अगर शहादत में न लिया जाकर वापस दिया गया | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | दैनिक भास्कर अखबार असल | 14/12/25 | | | | | |
| 2. | दैनिक भास्कर अखबार असल | 15/12/25 | | | | | |
| 3. | दैनिक भास्कर अखबार असल | 21/1/26 | | | | | |
| 4. | सोशल मीडिया के पोस्ट प्र. संख्या | | | | | | |
| 5. | रजिस्टर्ड नोटिस | 20/1/26 | | | | | |
| 6. | पोस्टल रसीदें 6 | | | | | | |
| 7. | नोटिस जो प्रतिवादी गण को लेने से मना किया जो मय लिफाफा 4. | | | | | | |
| 8. | प्रमाणपत्र अन्तर्गत धारा 63 | | | | | | |

18/2/26